

स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण

प्रलिस के लयः

ओबीसी आरक्षण, शहरी स्थानीय नकाय ।

मेन्स के लयः

स्थानीय नकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का महत्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च नयायालय \(SC\)](#) ने महाराष्ट्र सरकार की एक याचका पर सुनवाई करते हुए अपने दसिंबर 2021 के आदेश को वापस लेने का फैसला कया, जसके माध्यम से स्थानीय नकाय चुनावों में अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) के लयि 27% आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी ।

- सर्वोच्च नयायालय ने महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय नकाय चुनावों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने की ज़मिमेदारी पछिड़ा वर्ग आयोग को सौपी है ।
- महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहाँ स्थानीय नकायों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई गई थी । दसिंबर 2021 में, शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार के लयि एक समान आदेश पारति कया, जसमें ओबीसी सीटों को तीन-परीक्षण मानदंडों (जैसा क 2010 के फैसले में कहा गया है) का पालन करने में वफिल रहने पर सामान्य श्रेणी के रूप में अधसूचति कया गया था ।
 - इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का एक आवेदन कया है, जसमें राज्य में 51% ओबीसी आबादी होने का दावा कया गया है ।

THE GIST

- The apex court's latest order in *Rahul Ramesh Wagh v. State of Maharashtra & Ors.* makes it mandatory that the principles laid down by the Supreme Court for providing reservation to OBCs in local bodies shall be followed across the country.
- A five-judge Constitution Bench in the *K. Krishnamurthy (Dr.) v. Union of India (2010)* judgment said that barriers to political participation are not the same as barriers to education and employment. Though reservation to local bodies is permissible, the top court declared that the same is subject to three conditions: 1) to set up a dedicated Commission to conduct empirical inquiry into the nature of the backwardness in local bodies, 2) to specify the proportion of reservation required to be provisioned local body-wise 3) such reservation shall not exceed aggregate of 50% of the total seats reserved for SCs/STs/OBCs taken together.
- Maharashtra had constituted a Commission to ascertain the backwardness of OBCs in June 2021. But without waiting for an empirical report, an ordinance was promulgated to amend the Maharashtra Zilla Parishads Act, Panchayat Samitis Act and the Maharashtra Village Panchayat Act so as to conduct local body elections with OBC reservation. This was struck down by the Supreme court.



//

प्रमुख बंदि

■ पृष्ठभूमि:

- मार्च 2021 में SC ने राज्य सरकार को तीन शर्तों का पालन करने के लिये कहा था- ओबीसी आबादी से संबंधित अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिये एक समर्पित आयोग की स्थापना, आरक्षण के अनुपात को नरिदषिट करना और यह सुनिश्चित करना कआरक्षति सीटों का

संचयी हिससा कुल सीटों में से 50% का उल्लंघन न करे।

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने ओबीसी के अनुभवजन्य डेटा के लिये समर्पित आयोग की नियुक्ति की और 50% आरक्षण की सीमा को पार किये बिना स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% तक आरक्षण देने के लिये एक अध्यादेश भी जारी किया।
- हालाँकि शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2021 में यह कहते हुए रोक लगा दी कि इसे अनुभवजन्य डेटा के बिना लागू नहीं किया जा सकता है और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी में रखकर चुनाव कराने को कहा है।

■ दलील:

- महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया कि शीर्ष अदालत द्वारा दिये गए दिसंबर के आदेश के दो प्रतिकूल प्रभाव होंगे।
- ओबीसी से संबंधित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित पदों पर चुने जाने के अवसर से वंचित होंगे, जो न केवल ओबीसी समुदाय के नविसयियों की आकांक्षाओं को पूरा बल्कि अन्य सभी समुदायों के विकास में मदद करते थे।
- ओबीसी का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या गैर-प्रतिनिधित्व संवैधानिक योजना के उद्देश्य व मंशा के बलिकुल विपरीत है।
- राज्य ने यह भी दावा किया कि उसने पहले ही एक आयोग नियुक्त करके और डेटा एकत्र करके तीन परीक्षण दिशा निर्देशों में से दो का पालन किया था।
- महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आरक्षण ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात पर आधारित है और पूरे महाराष्ट्र राज्य के सभी जिलों में 27% का समग्र आरक्षण नहीं है।
- स्थानीय निकायों में 27% ओबीसी कोटा को सही ठहराने हेतु एक मध्यवर्ती उपाय के रूप में राज्य ने एक नमूना सर्वेक्षण का उल्लेख किया जिसमें कहा गया कि नमूना आकार में ओबीसी का वितरण 48.6% पाया गया था।

■ सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश:

- सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को 'महाराष्ट्र राज्य पछिड़ा वर्ग आयोग' (MSCBC) द्वारा ओबीसी डेटा की जाँच करने और स्थानीय निकायों के चुनावों में उनके प्रतिनिधित्व पर सफ़ाई करने का निर्देश दिया।

■ नहितार्थ:

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में OBC कोटा बहाल करने की संभावना को बढ़ा दिया है।
- सरकारी आँकड़ों में राज्य के ग्रामीण विकास विभाग और शहरी विकास विभाग के गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्रों हेतु स्थानीय निकायों द्वारा वभिन्न सर्वेक्षण शामिल हैं।
- सरकार पूर्व पछिड़ा वर्ग आयोग के आँकड़ों और वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का भी हवाला दे सकती है।
- सरकार को MSCBC और राज्य चुनाव आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करना होगा और स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा बहाल करने हेतु मलिकर कार्य करना चाहिये।

वर्ष 2010 का नरिणय

- के. कृष्णमूर्ति बिनाम भारत संघ वाद (2010) में सर्वोच्च न्यायालय के पाँच-न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने अनुच्छेद 243D(6) और अनुच्छेद 243T(6) की व्याख्या की थी, जो कानून के अधिनियमन द्वारा क्रमशः पंचायतों और नगर निकायों में पछिड़े वर्गों के लिये आरक्षण की अनुमति देते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि राजनीतिक भागीदारी की बाधाएँ, शिक्षा एवं रोज़गार तक पहुँच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान नहीं हैं।
- समान अवसर देने हेतु आरक्षण को वांछनीय माना जाता है, जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेदों द्वारा अनिवार्य है जो कि आरक्षण के लिये एक अलग संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं, जबकि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत शिक्षा व रोज़गार में आरक्षण की परकिल्पना की गई है।
- यद्यपि स्थानीय निकायों को आरक्षण की अनुमति है, कति सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि यह आरक्षण स्थानीय निकायों के संबंध में पछिड़ेपन के अनुभवजन्य डेटा के अधीन है।

स्रोत: द हद्दि